रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012026-269206
CG-DL-E-08012026-269206

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947
No. 12] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 12(अ).— केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (2025 का 25) की धारा 31 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (2025 का 25) अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय खेल बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "केंद्रीय सरकार" से भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अधीन केंद्रीय सरकार का वह विभाग अभिप्रेत है, जिसे खेल विषय आवंटित किया गया है ;

(घ) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियुक्त अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "समिति" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन खोज-सह-चयन समिति अभिप्रेत है; और

(च) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियुक्त सदस्य अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी सम्मिलित है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. खोज-सह-चयन समिति का गठन और चयन प्रक्रिया-

(1) केन्द्रीय सरकार, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक खोज-सह-चयन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) सचिव, खेल विभाग, भारत सरकार; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा खेल प्रशासन में अनुभव रखने वाले एक व्यक्ति और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दो व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) समिति, अध्यक्ष और बोर्ड के दो सदस्यों के स्थान के लिए योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों में से, लोक प्रशासन, खेल प्रशासन, खेल विधि और अन्य संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी ।

(3) समिति, केन्द्रीय सरकार को सिफारिश किए जाने वाले नामों को पैनल में सम्मिलित करने के लिए उप-नियम (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया अवधारित करेगी।

(4) समिति, अध्यक्ष या बोर्ड के सदस्य के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की सिफारिश नहीं करेगी जिसने पूर्ववर्ती एक वर्ष में किसी अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, राष्ट्रीय खेल निकाय या ऐसे राष्ट्रीय खेल निकाय की संबद्ध इकाई में कोई पद धारण किया हो या सदस्य रहा हो।

(5) खोज-सह-चयन समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल ऐसी समिति में किसी रिक्ति या अनुपस्थिति होने या उसके गठन में दोष होने के आधार पर प्रश्नगत नहीं होंगे।

4. रिक्तियां- (1) खोज-सह-चयन समिति द्वारा नियम 3 के उप-नियम (2) के अधीन सिफारिश किए गए नामों का पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा, और केन्द्रीय सरकार इस अवधि के दौरान किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्ति के संबंध में ऐसे पैनल से किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी।

(2) यदि उप-नियम (1) के अधीन कोई पैनल विद्यमान नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार, किसी रिक्ति के उत्पन्न होने की तारीख से एक माह के भीतर, जिसमें अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण रिक्ति सम्मिलित है, या अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से तीन माह पूर्व,-

(क) नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन यथा उपबंधित खोज-सह-चयन समिति का गठन करेगी; और

(ख) ऐसी रिक्ति को भरने के लिए ऐसी खोज-सह-चयन समिति को निर्दिष्ट करेगी और इस नियम के उपबंधों को ऐसी किसी रिक्ति को भरने के लिए लागू करेगी।

5. पुनर्नियुक्ति हेतु चयन-(1) अध्यक्ष और सदस्य द्वारा एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन किया जा सकेगा, और ऐसे आवेदन पर खोज-सह-चयन समिति द्वारा मूल नियुक्ति के जैसे सभी चयनित व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा।

परंतु, अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धरण करेंगे।

(2) किसी पद के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करते समय, खोज-सह-चयन समिति बोर्ड में पुनर्नियुक्ति के इच्छुक व्यक्तियों को बोर्ड में उनके अनुभव के लिए अतिरिक्त महत्व देगी और ऐसा करते हुए, ऐसे व्यक्ति द्वारा बोर्ड में सदस्य या अध्यक्ष के रूप में किए गए कार्य प्रदर्शन को ध्यान में रखेगी।

[फा. सं. 12-12/2025-शासन-1]

कुणाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Sports)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2026

G.S.R. 12(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (e) of sub-section (2) of section 31 of the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the National Sports Board (Search-cum-Selection Committee) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025);

(b) "Board" means the National Sports Board established under sub-section (1) of section 5 of the Act;

(c) "Central Government" shall mean the Department of the Central Government which has been allocated the subject matter of sports under the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961;

(d) "Chairperson" means the Chairperson appointed under section 5 of the Act;

(e) "committee" means the search-cum-selection committee under sub-section (2) of section 5 of the Act; and

(f) "Member" means a member appointed under section 5 of the Act, and includes the Chairperson.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein, but defined in the Act, shall have the meaning as assigned to them in the Act.

3. Constitution of the search-cum-selection committee and process of selection. — (1) The Central Government shall constitute a search-cum-selection committee chaired by the Cabinet Secretary, which consist of the following members, namely:-

(a) Secretary to the Government of India in the Department of Sports; and

(b) one person possessing experience in sports administration, and two persons who are recipients of national sports awards, to be nominated by the Central Government.

(2) The committee shall recommend a panel of names for the positions of Chairperson and two Members of the Board, from among persons of ability, integrity and standing, having knowledge or practical experience in the field of public administration, sports governance, sports law and other related fields.

(3) The committee shall determine the procedure for selecting the persons as specified under sub-rule (2) for inclusion in the panel of names to be recommended to the Central Government.

(4) The committee shall not recommend as the Chairperson or Member of the Board, any person who has held any office or has been a member, in the preceding one year, of any International Federation, National Sports Body or affiliate unit of such National Sports Body.

(5) No act or proceeding of the search-cum-selection committee shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy or absences in such committee or defect in its constitution.

4. Vacancy. — (1) The panel of names recommended by the search-cum-selection committee under sub-rule (2) of rule 3, shall remain valid for a period of one year, and the Central Government shall appoint a person from such panel in respect of any vacancy which may arise for any reason during this period.

(2) Where there is no existing panel as provided under sub-rule (1), the Central Government shall, within one month from the date of occurrence of any vacancy, including by reason of death, or resignation, or removal of the Chairperson or a Member, or within three months before the end of tenure of the Chairperson or Member,-

(a) constitute a search-cum-selection committee as provided under sub-rule (1) of rule 3; and

(b) make a reference to such search-cum-selection committee for filling up of such vacancy, and provisions of this rule shall apply for filling of any such vacancy.

5. Selection for re-appointment. — (1) The Chairperson and Members may make an application for reappointment for one more term, and such application shall be considered by the search-cum-selection committee in the same manner as that for original appointment, along with all the persons shortlisted by it:

Provided that the Chairperson and Members shall hold office for a period of three years or till he attain the age of sixty-five years, whichever is earlier.

(2) While making its assessment for suitability to a post, the search-cum-selection committee shall give additional weightage to the persons seeking re-appointment for their experience in the Board and while doing so, shall take into account the performance of such person while working as a Member or a Chairperson in the Board.

[F. No. 12-12/2025-Governance-1]

KUNAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA